ग्यारहवीं योजना (2007–2012) के दौरान भवन निर्माण हेतु कालेजों को विकास सहायता प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002
वेबसाइट : **www.ugc.ac.in**

ग्यारहवीं योजना (2007–2012) के दौरान भवन निर्माण हेतु कालेजों को विकास सहायता प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देश

1. प्रस्तावनाः

किसी भी संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता बड़े पैमाने पर अवसंरचना, मुख्यतः भवन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। सीमित संसाधनों के साथ कालेजों को नए भवन का निर्माण करने और मौजूदा भवनों का पुर्नरुद्धार करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। विभिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण/पुर्नरुद्धार में कालेजों को मदद करने के लिए, वि0अ0आ0 सामान्य विकास सहायता के भाग के रूप में प्रत्येक योजना अवधि में कालेजों को अनुदान देता है। कालेज, एक योजना अवधि के दौरान भवनों के निर्माण के लिए सामान्य विकास सहायता के तहत आवंटित कुल अनुदान के 60% तक सहायता के रूप में प्राप्त कर सकता है।

2. उद्देश्यः

योजना का उद्देश्य कालेजों को 'विकास सहायता' योजना के तहत मौजूदा भवन निर्माण के साथ ही पुर्नरुद्धार/विस्तार (मौजूदा भवन के मामले में) अर्थात् कक्षाएं, पुस्कालय, प्रयोगशालाएं, प्रशासनिक ब्लाक, स्टाफ क्वार्टर, छात्रावास एवं अन्य भवन आदि के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। उद्देश्य कालेजों को अवसंरचना के समेकन तथा विस्तार में मदद करना है।

3. पात्रता/लक्षित समूहः

वे कालेज जिन्हें वि0आ0आ0 द्वारा, वि0अ0आ0 अधिनियम, 1956 की धारा (च) तथा 12 (ख) के तहत, अनुरक्षित किया गया है, वे इस अनुदान के लिए पात्र हैं।

4. इस योजना के तहत उपलब्ध सहायता की प्रकृतिः

वि0अ0आ0 अनुमोदित अधिकतम सीमा के भीतर शतप्रतिशत आधार पर भवन के निर्माण एवं पुर्नरुद्धार/विस्तार (मौजूदा भवन के मामले में) हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

5. योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया

5.1 **भवन समिति तथा इसकी संरचनाः** भवन परियोजना हेतु आवेदन करने पूर्व कालेज को भवन समिति का गठन करना चाहिए जिसमें निम्नलिखित सदस्य हों :–

क) कालेज का प्राचार्य/प्रभारी शिक्षक

ख) उप प्राचार्य (यदि नियुक्ति की गई हो)

ग) सम्बद्ध विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि

घ) केलोनिवि/लोनिवि/जिला परिषद्/निगमों आदि का एक प्रतिनिधि (जो कि सहायक अभियंता के स्तर से नीचे न हो)

ड.) कालेज के शिक्षकों में से दो प्रतिनिधि। कर्मचारी आवास के मामले में शिक्षेत्तर कर्मचारी वर्ग से भी एक प्रतिनिधि को शामिल किया जाना चाहिए।

च) उपयोगकर्त्ता–शिक्षक विभाग से एक प्रतिनिधि।

छ) प्रशासनिक एवं लेखा विभाग दोनों से एक–एक प्रतिनिधि

झ) कालेज द्वारा नियुक्त एक वास्तुविद्

5.2 भवन समिति, कालेज द्वारा प्रस्तावित विभिन्न भवन परियोजनाओं की योजनाओं तथा अनुमान को अंतिम रूप देने के लिए तथा अनुमोदित योजना तथा अनुमानों के अनुसार भवन निर्माण कार्य को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए

उत्तरदायी होगी। इसके अलावा, यह वि0अ0आ0, सरकार एवं कालेज द्वारा स्वयं इसके संसाधनों द्वारा जुटाई गई विधियों के उचित उपयोग हेतु उत्तरदायी होगी।

5.3 भवन संबंधी समिति द्वारा वि0अ0आ0 सहायता से भवन परियोजनाओं को आरंभ किए जाने का संकल्प लेने पर कालेज को वि0अ0आ0 के अंतिम अनुमोदन हेतु निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए :

<u>भवन परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु अपेक्षित दस्तावेज</u>

1. वि0अ0आ0 दिशानिर्देशों के अनुसार भवन संबंधी समिति की संरचना।

2. कालेज का नाम, भवन परियोजना का नाम, भवन के प्रकार, वर्ग मीटर में कवर किए गए क्षेत्रफल, प्रति वर्ग मीटर लागत, अनुमान का आधार, दरों की अद्यतन अनुसूची, परियोजना को पूरा करने की अवधि, निर्माण आरंभ करने की संभावित तिथि, निर्माण की पद्धति (राज्यों के लोक निर्माण विभाग, केलोनिवि/कालेज/ठेकेदार/निजी निर्माण एजेंसियों के पास निक्षेप कार्य) का नाम दर्शाते हुए भवन निर्माण संकल्प की एक प्रति। संकल्प में समिति की बैठक में मौजूद सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे तथा कालेज के प्राचार्य द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित किया जाएगा।

3. किसी भी सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम) विश्वविद्यालय/लोनिवि/केलोनिवि के अर्हक अभियंता द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षर दर अनुरूपता प्रमाण पत्र तथा कुल लागत सार। **(अनुलग्नक–I)**

4. प्राचार्य/अर्हक अभियंता/वास्तुविद् द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित विस्तृत अनुमान **(अनुलग्नक–II)** ।

5. प्रस्तावित भवन परियोजना के भवन का नक्शा जिसे अर्हक अभियंता/पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा विधिवत रूप से तैयार किया गया हो तथा कालेज के प्राचार्य/प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो। भवन में रैम्प तथा भूतल पर शौचालय का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि निशक्त (विकलांग) व्यक्तियों को भवन का उपयोग करने हेतु सक्षम बनाया जा सके।

6. भवन परियोजना प्रमाण पत्र **(अनुलग्नक–III)** ।

7. **<u>प्रक्रियागत ब्यौरा</u>**

कालेज, आयो द्वारा अनुमोदित भवन परियोजना, जिसमें उसकी आयोजना, वास्तुविद् डिजाईन, ढांचागत डिजाईन, अनुमान तैयार करने तथा निर्माण कार्य को आरंभ करने से पूर्व निम्नलिखित विकल्प अपना सकता है परन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कार्य की आयोजना तथा निष्पादन में दो से अधिक एजेंसियॉ शामिल न हों।

क. वास्तुविद् डिजाईन, ढांचागत डिजाईन, अनुमान तैयार करने तथा कार्य निष्पादन को केलोनिवि या राज्य के लोनिवि या किसी अन्य सरकारी एजेंसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैसा भी मामला हो, निक्षेप कार्य के रूप में समग्र रूप से सौंपा जा सकता है।

अथवा

ख. वास्तुविद् (वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकृत) वास्तु संबंधी डिजाईन तैयार कर सकता है। वास्तुविद् का चयन करने के लिए किसी एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। भवन समिति अंतिम चयन करेगी। शेष कार्य अर्थात् ढांचागत डिजाईन, अनुमान तैयार करना तथा कार्य के निष्पादन हेतु निविदाएं आमंत्रित कर ठेकेदार को सौंपा जा सकता है।

कालेज, किसी एक राष्ट्रीय समाचार पत्र तथा एक स्थानीय समाचार पत्र में निर्माण परियोजना को आरंभ करने के लिए निविदा सूचना आमंत्रित कर सकती है। सामान्यतः न्यूनतम निविदा को कार्य सौंपा जाएगा परन्तु यदि न्यूनतम निविदा को स्वीकार नहीं किया जाता है तो कालेज द्वारा तत्संबंधी कारणों का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है।

अथवा

ग. कार्य निष्पादन को स्वयं कालेज द्वारा किया जा सकता है बशर्ते कि कालेज में सिविल अभियांत्रिकी विभाग हो जिसमें कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए सक्षम, प्राधिकृत व्यक्ति हो। अनुमान तैयार करते हुए वास्तुविद्/अभियंता को यह देखना चाहिए कि यह केलोनिवि या लोनिवि की दर अनुसूची तथा विशिष्टताओं पर आधारित हो। अनुमान में केलोनिवि या लोनिवि अनुसूची में दर्ज संगत मद संख्या दर्शायी जानी चाहिए जिसके आधार पर अनुमान तैयार किया गया है तथा पंजीकृत वास्तुविद्/अभियंता जिसने अनुमान तैयार किया है, उसे यह सत्यापित करना चाहिए कि यह संबंधित केलोनिवि या लोनिवि की दर अनुसूची के अनुसार है।

8.0 <u>वि0अ0आ0 द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया</u>

8.1 उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर वि0अ0आ0 प्रस्ताव को संसाधित करेगा तथा संस्थान को अपना अनुमोदन या अपनी अस्वीकृति प्रदान करेगा।

8.2 वि0अ0आ0 से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात्, कालेज मद–दर आधार पर निविदाएं आमंत्रित कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर, कालेज, कम से कम एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित कर, इच्छित पार्टियों से निविदाएं आमंत्रित करेगा। कार्य सौंपे किए जाने से तीन माह के भीतर सूचना को आयोग को भेजा जा सकता है तथा इसमें निम्नवत् आमंत्रित सूचना होनी चाहिए :–

1. अनुमान का मूल्य जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी।
2. प्राप्त निविदाओं की संख्या
3. न्यूनतम निविदा का मूल्य
4. प्राप्त निविदा का मूल्य; तथा
5. यदि न्यूनतम निविदा को स्वीकार नहीं किया गया है तो इसके संबंध में विशिष्ट कारण।

निविदा स्वीकृति एवं विस्तृत अनुमान को भवन संबंधी समिति द्वारा समिति की बैठक में अनुमोदित किया जाना चाहिए जहां अभियांत्रिकी तथा वास्तुशिल्प पृष्ठभूमि के कम से कम दो प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। संबंधित संस्थान प्रमुख को यह भी सत्यापित करना चाहिए तथा इसे वि0अ0आ0 को भेजना चाहिए।

8.3 निविदा सूचना की आवश्यकता नहीं है यदि निर्माण कार्य को केलोनिवि या राज्य लोनिवि या किसी समकक्ष सरकारी एजेंसी या सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग अथवा स्वयं कालेज द्वारा इसके सिविल अभियांत्रिकी विभाग द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में आरंभ किया गया हो।

9. <u>वि0अ0आ0 द्वारा अनुदान जारी किए जाने की प्रक्रिया</u>

क. योजना एवं अनुमानों को वि0अ0आ0 का अनुमोदन देते हुए अनुमोदित अनुदान का 50% जारी किया जाएगा।

ख. निर्माण के चरण को दर्शाते हुए प्रगति रिपोर्ट के साथ लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा व्यय के लेखापरीक्षित विवरण की प्राप्ति पर अनुमोदित अनुदान का 40% जारी कर दिया जाएगा। **(अनुलग्नक IV तथा V)**

ग. शेष 10% अनुदान को पूर्णता दस्तावेजों की प्राप्ति पर जारी किया जाएगा। पूर्णता दस्तावेजों में निम्नवत् शामिल होंगे।

1. अंतिम लागत को दर्शाते हुए संशोधित अनुमान, यदि कोई हो तो।
2. कुल लागत का लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र **(अनुलग्नक–IV)**
3. लेखापरीक्षित आय तथा व्यय विवरण **(अनुलग्नक–IV)**
4. लेखापरीक्षित परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र **(अनुलग्नक–VI)**
5. प्राचार्य (अथवा प्रभारी शिक्षक या उप प्राचार्य) एवं अर्हक अभियंता तथा/ अथवा पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र/दस्तावेज **(अनुलग्नक–VII)**
6. बाहरी एवं आंतरिक दृश्य को दर्शाते हुए फोटोग्राफ।

(अनुलग्नक–X–क)

दर अनुरूपता प्रमाण पत्र एवं लागत सार

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्यारहवीं योजना के दौरान (कालेज का नाम) .. .. (भवन का नाम) ..... के प्रस्तावित निर्माण हेतु अनुमान को वर्ष के लिए क्षेत्र के लोनिवि/केलोनिवि दरों की मौजूदा अनुसूची के आधार पर तैयार किया गया है।

लागत सार

नक्शों में दिया गया कुल 'कुर्सी क्षेत्र' (प्लिंथ एरिया) :

नक्शों में दिया गया कुल 'निर्माण क्षेत्र' :

प्रति वर्ग मीटर लागतः

सिविल कार्य की लागत	राशि
(लोनिवि/केलोनिवि दरों की वर्तमान अनुसूची के आधार पर)	रू0
अन्य (विद्युतीकरण, जल आपूर्ति तथा साफ–सफाई (आंतरिक सेवाएं)	
बाहरी सेवाएं, आकस्मिताएं, वास्तुविद् की फीस	रू0
(पर्यवेक्षण प्रभार)	
(लोनिवि/केलोनिवि/सत्यापन प्रभार)	
कुल अनुमानित लागत (क)	रू0
फर्नीचर (ख)	रू0
कुल योग (क+ख)	

प्राचार्य के हस्ताक्षर मुहर सहित

योग्य अभियन्ता*/पंजीकृत
वास्तुविद् के हस्ताक्षर सहित मुहर
**नाम और पूरा पता
(साफ अक्षरों में)

*सरकारी विभाग/उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम आदि) विश्वविद्यालय में कार्यरत सहायक अभियनता के पद से कम न हो)

**(वास्तुविद् के मामले में वास्तुकला परिषद् के साथ पंजीकरण नम्बर व उसका पूरा पता दिया जाए)

(अनुलग्नक–X–ख)

विस्तृत अनुमान

1. एक प्रमाण पत्र कि भवन परियोजना का अनुमान लोनिवि/केलोनिवि/स्थानीय नगर निगम/प्राधिकरण/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसी प्रकार की निर्माण एजेंसी द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप है।

2. सेवाओं के लिए प्रावधान (आंतरिक जलापूर्ति तथा शौचालयों में संस्थापनाओं, आंतरिक विद्युतीकरण तथा बाहरी सेवाओं), आकस्मिताओं, वास्तुविद् की फीस, स्ट्रक्चरल इंजीनियर/परामर्शदाता की फीस, लोनिवि/केलोनिवि सत्यापन प्रभार को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार किया जाएगा :–

क. जलापूर्ति और शौचालय संस्थापनाएं रु0.....
(सिविल कार्य लागत के 7.5 % की दर से)

ख. सिविल कार्य की लागत के 10% (बिना पंखों के) अथवा 12.5% (बिना पंखों के), ग्रंथालय के लिए 15% (पंखों के साथ) की दर से विद्युतीकरण

ग. बाह्य सेवाएं (सिविल कार्य लागत की 5% की दर से)

घ. लोनिवि/केलोनिवि सत्यापन प्रभार
(सिविल लागत की 0.5% की दर से) बशर्ते कि उपलब्ध कराया गया नक्शा तथा अनुमान लोनिवि/केलोनिवि अभियंताओं द्वारा तैयार नहीं किया गया है।

ड. आकस्मिताएं (सिविल कार्य लागत को 3% की दर से (सेवाओं सहित)

च. वास्तुविद् की फीस/पर्यवेक्षण प्रभार
(भवन की कुल अनुमानित लागत के 5% की दर से जिसमें सेवाएं आकस्मिताएं शामिल हैं, परन्तु फर्नीचर की लागत शामिल नहीं है)

ज. कुल अनुमानित लागत (क) रुपये

झ. फर्नीचर (ख)
(छात्रावासों के लिए एक चारपाई एक पढ़ने वाली मेज तथा प्रति सीट एक कुर्सी की वास्तविक लागत)

कुल योग (क+ख) रुपये

3. बाह्य सेवाओं के तहत प्रावधान में मुख्य भवन से मौजूदा मेन तक सर्विस कनेक्शन (जल, विद्युत तथा सीवर) तथा भवन को आवंटित प्लाट क्षेत्र का विकास शामिल होगा।

(अनुलग्नक–X–ग)

भवन परियोजना प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है किः

क. भवन के नक्शे तथा अनुमान भवन संबंधी समिति द्वारा अनुमोदित है तथा आयोग द्वारा विदित मानदण्डों के अनुरूप है तथा दरें क्षेत्र के सीएसआर के अनुसार हैं।

ख. भूमि जिस पर प्रस्तावित भवन का निर्माण किया जाना है वह कालेज/न्यास/सोसायटी के अविवादित स्वामित्व तथा कब्जे में है (अगर भूमि/न्याय/सोसायटी /के नाम है तो यथोचित रूप से पंजीकृत एक अप्रतिसंहार्य संकल्प, कि भूमि जिस पर भवन का निर्माण किया जाना है वह कालेज के विशिष्ट उपयोग के लिए चिन्हित है, उपलब्ध कराया जाए।)

ग. प्रस्तावित निर्माण को राज्य लो0नि0वि0/के0लो0नि0वि0 अथवा कालेज/निविदा के साथ निक्षेप कार्य द्वारा निष्पादित किया जाएगा (जो लागू नहीं है, उसे काट दें)

घ. वि0अ0आ0 से अतिरिक्त व्यय यदि कोई हो तो, को कालेज द्वारा उसके स्वयं के संसाधनों द्वारा पूरा किया जाएगा तथा निधियों के अभाव में निर्माण कार्य में विलम्ब नहीं किया जाएगा।

ड. यदि प्रस्तावित भवन को भूतल इमारत के ऊपर बनाया जाना है/(अथवा विस्तार किया जाना है) तो प्रस्तावित भवन का भार सहने में मौजूदा इमारत के ढांचे की ढांचागत सुदृढ़ता का ब्यौरा।

च. कालेज द्वारा पूर्व में प्रस्तावित निर्माण के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

छ. परियोजना को महीनों में समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिया जाएगा।

प्राचार्य के हस्ताक्षर तथा मुहर

#अर्हक अभियंता* / पंजीकृत वास्तुविद् **द्वारा प्रमाण पत्र को संलग्न करें।

* सरकारी विभाग / सरकारी उपक्रम / स्वायत्त निकाय (जिला परिषद / निगम्) / विश्वविद्यालय में नियोजित सहायक अभियंता से कम स्तर न हो।

** (वास्तुविद् के मामले में वास्तुकला परिषद् द्वारा पंजीकरण संख्या को वास्तुकार के पूर्ण पते सहित दिया जाना चाहिए।)

(अनुलग्नक–X–घ)

लेखापरीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र तथा आय और व्यय का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उनके दिनांक .. .. के पत्रांक सं. ..... के माध्यम से ..... के निर्माण के लिए संस्वीकृत .....रुपये (..... रुपये) के अनुदान को उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया है तथा आयोग द्वारा निर्धारित निबंधन व शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है।

जांच अथवा लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप यदि बाद में कोई अनियमितता पाई जाती है तो आपत्ति की राशि के प्रतिदाय, समायोजन अथवा उसे विनियमित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

हस्ताक्षर व मुहर — प्राचार्य

हस्ताक्षर व मुहर — सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक

वि0अ0आ0 द्वारा दिनांक ..... के पत्रांक संख्या..... के माध्यम से (भवन परियोजना का नाम) के संबंध में आय तथा व्यय का लेखापरीक्षित विवरण।

आय		व्यय	
1.	वि0अ0आ0 द्वारा अनुदान	(1)	आकस्मिता सहित सिविल कार्य
2.	राज्य/केन्द्र सरकार से अनुदान	(2)	जलापूर्ति तथा साफ–सफाई

3.	कालेज का योगदान	(3)	विद्युतीकरण_____
4.	अन्य यदि कोई हो तो	(4)	बाह्य सेवाएं_____
		(5)	वास्तुविद् की फीस_____
		(6)	फर्नीचर, यदि कोइ हो, तो_____
	कुल_____		कुल_____
	दिनांक_____		

मुहर सहित हस्ताक्षर — प्राचार्य

मुहर सहित हस्ताक्षर — सनदी लेखाकार/सरकारी लेखापरीक्षक

(अनुलग्नक–X–ड.)

जारी की गई निधियों की प्रगति रिपोर्ट

1. योजना का नाम
2. योजना को अनुमोदित करने के संबंध में वि0अ0आ0 के संस्वीकृति पत्र की संख्या तथा दिनांक
3. कुल अनुमोदित लागत
   क. वि0अ0आ0 का भाग
   ख. कालेज/राज्य सरकार का भाग
4. कुल स्वीकृत निविदा मूल्य
5. कुल प्राप्त राशि
   क. वि0अ0आ0 द्वारा
   ख. उपरोक्त 3 के समक्ष कालेज/राज्य सरकार द्वारा
6. वास्तव में किया गया गया कुल व्यय अर्थात् किए गए कार्य अथवा प्राप्त आपूर्तियों के लिए प्रदत्त बिल
   क. वि0अ0आ0 के हिस्से के समक्ष
   ख. कालेज/राज्य सरकार के हिस्से के समक्ष
7. प्राप्त राशि में से शेष राशि यदि कोई हो तो
   क. वि0अ0आ0 के हिस्से में से
   ख. कालेज/राज्य सरकार के हिस्से में से
8. अगले तीन/छह माह में संभावित व्यय को पूरा करने के लिए राशि जो जारी किए जाने की आवश्यकता है।

9. परियोजना जिसमें निर्माण कार्य किया जाना हो, अब तक पूरे किए गए निर्माण कार्य का संक्षिप्त विवरण दिया जाए तथा यह भी प्रमाणित किया जाए कि निर्माण कार्य, आयोग द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार किया जा रहा है।

10. विपथन, यदि कोई हो तो, स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। निर्माण लागत पर प्रभाव को भी विर्निदिष्ट किया जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान को उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है जिसके लिए इसे संस्वीकृत किया गया था तथा उपयोग अनुदान के साथ सम्बद्ध निबंधन व शर्तों के अनुरूप किया गया है।

अगर जांच या लेखापरीक्षा आपत्तियों के परिणामस्वरूप बाद में कोई अनियमितता पाई जाती है तो आपत्तिगत राशि के प्रतिदाय, समायोजना अथवा विनियमित करने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

हस्ताक्षर व मुहर	हस्ताक्षर व मुहर
अर्हक अभियंता*/पंजीकृत वास्तुविद्**	प्राचार्य (कालेज)

*सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम/स्वायत्त निकाय (जिला परिषद्/निगम)/विश्वविद्यालय में नियोजित सहायक अभियंता के पद से नीचे न हो।

** (वास्तुविद के मामले में, वास्तुकला परिषद् में दर्ज पंजीकरण संख्या तथा वास्तुकार का पूर्ण पता दिया जाए) । नोट :– इसमें दिए गए क्रम आदेश अथवा दिए जाने वाले संभावित क्रयादेश, की गई वचनबद्धताएं अथवा भविष्य में

प्राप्त किए जाने की संभावना वाली विशिष्ट मदों के लिए चिन्हित राशि से संबंधित कोई राशि शामिल नहीं है।

अनुलग्नक–X –च

परिसम्पत्ति प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा..... .....के लिए प्रदत्त अनुदानों के माध्यम से पूर्ण रूप से/मुख्य रूप से अर्जित स्थायी या अर्ध–स्थायी परिसम्पत्तियों की वस्तुसूची का रख–रखाव विहित प्ररूप में किया जा रहा है तथा उसे अद्यतन किया जा रहा है। (उद्देश्य का उल्लेख करें)..... .....

प्राचार्य के हस्ताक्षर, मुहर सहित

सरकारी लेखापरीक्षक/
सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर,
मुहर सहित

(अनुलग्नक–X–छ)

समापन प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ..... (कालेज का नाम) में स्थित .... (भवन का नाम) के निर्माण कार्य को ..... रुपये की लागत से संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया गया है तथा पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार है तथा इसके कार्य को बिना किसी परिवर्तन के पूरा पाया गया है। स्थल को उचित रूप से साफ पाया गया है।

प्राचार्य के	अर्हक अभियंता* / पंजीकृत वास्तुविद्**
हस्ताक्षर व मुहर	के हस्ताक्षर व मुहर

- सरकारी विभाग / सरकारी उपक्रम / स्वायत्त निकाय (जिला परिषद् / निगम) / विश्वविद्यालय में नियोजित सहायक अभियंता के पद से नीचे न हो।

** (वास्तुविद के मामले में, वास्तुकला परिषद् में दर्ज पंजीकरण साधा तथा वास्तुकार का पूर्ण पता दिया जाए) ।

नोट : उपरोक्त प्रमाण पत्र में भवन परियोजना की कुल समापन लागत को दर्शाया जाना चाहिए। यह पहले ही प्राप्त निधियों के समायोजन के अध्यधीन होगा।

अनुमानों/स्वीकृत निविदा के संबंध में समापन लागत में विभिन्नता के कारण में वृद्धि/कमी, यदि कोई हो तो, का औचित्य सिद्ध करने के लिए दर्शाया जाना चाहिए।